

बल्लीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के लिए

अक्टूबर 2021

(आरटी पान्थरे)

16

## आकस्मिक अवकाश

### सामान्य

तकनीकी दृष्टि से "आकस्मिक अवकाश" को अवकाश नहीं माना गया है। क्योंकि इस अवकाश के दौरान शासकीय सेवक कर्तव्य पर ही रहता है तथा ड्यूटी पे प्राप्त करता है।

### 1. आकस्मिक अवकाश

(1) एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2341-3006-1 (iii)64, दिनांक 11-12-1964]

(2) लिपिक-वर्गीय शासकीय सेवक (आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, को एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन के बजाय 16 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है। यह नियम शासकीय मुद्रणालय के तथा अन्य विभागों के उन लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों को लागू नहीं है जो कारखाना अधिनियम तथा श्रम कानूनों से शासित होते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2378-3125/1(3)/66, दिनांक 30-11-1966]

(3) सार्वजनिक /सामान्य अवकाश को जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या बाद में पड़े, उन्हें आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि ये अवकाश आकस्मिक अवकाश के मध्य में आ रहे हैं तो इन्हें आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

SAMPLE

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2942-2068-1(3)/60, दिनांक 13-12-1960]

(4) फॉरेस्ट स्कूल के प्रशिक्षणार्थियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं वन शाला में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधीनस्थ वन सेवा के व्यक्तियों को वर्ष में 19 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जिसमें से शिविर अवधि समाप्त होने पर विश्रान्तिकाल के रूप में एक समय में 14 दिन तक का अवकाश दिया जा सकता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1511-सी-आर-763-1(3)/58, दिनांक 15-7-1959]

(5) माह के द्वितीय तथा तृतीय शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 19/85/83/4/1, दिनांक 11-5-1983 द्वारा शासकीय कार्यालयों में अवकाश मंजूर है।

(6) लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 679/332/1(3)/82, दिनांक 30-10-1982]

(7) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश की पात्रता हेतु अवधि की गणना- मध्यप्रदेश प्रशासन कार्मिक, प्रशासनिक

सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-39/3/49/88, दिनांक 6-4-88 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा व जनशक्ति नियोजन विभागों के अधीन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों के लिये आकस्मिक अवकाश की अवधि कैलेण्डर वर्ष के स्थान पर 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाए।

## 2. आकस्मिक अवकाश उपभोग की अधिकतम सीमा

आकस्मिक अवकाश एक समय में आठ से अधिक दिन का मंजूर नहीं किया जा सकता है।

## 3. स्वीकृति की अन्य शर्तें

आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिये और पात्रता से अधिक हो जाने पर पात्रतानुसार अन्य प्रकार के नियमित अवकाश में बदल दिया जाना चाहिये। आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश वेकेशन के साथ अथवा कार्यग्रहण काल के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

## 4. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी

कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिए सक्षम है। (सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्रमांक-6, कंडिका 4, 5 एवं 6) कार्यालय प्रमुखों के आकस्मिक अवकाश उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 342/537/एफ.-ओ.एम., दिनांक 21-8-71]

## 5. आधे दिन का आकस्मिक अवकाश

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक-692/1098/1 (3)/72, दिनांक 25-10-72 द्वारा दिनांक 1-11-72 से आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के आदेश दिये गये हैं।

## 6. रमजान मुबारक में शासकीय मुस्लिम शासकीय सेवकों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति

**SAMPLE**

छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत मुस्लिम शासकीय सेवकों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

यह आदेश प्रतिवर्ष आने वाले रमजान माह के लिए लागू।

[छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 309/2000/सा.प्र.वि., दिनांक 2-12-2000 तथा क्र. एफ.1-3/2005/1/एक, दिनांक 10-10-2005]



## 7. परिवार नियोजन - विशेष आकस्मिक अवकाश

(1) परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छः दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2323/2096/1(3), 13-11-59]

(2) नान प्यूर्परल टी.टी. (जो प्रसूति अवकाश के बाद/प्रसव के तत्काल बाद के दिनों के अलावा अन्य कभी होती है) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह आदेश दिनांक 4-10-66 से प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2037-सी.आर. I(II) 66, दिनांक 4-10-66]

(3) दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, परन्तु ऐसी प्रसूति के बाद आपरेशन कराया जाता है, तो महिला कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। [सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1073/555/1(3), दिनांक 8-4-70]

(4) पत्नी के परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1557-सी.आर.207-3, दिनांक 19-5-70]

(5) पुरुष कर्मचारी की पत्नी का टी.टी. आपरेशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः आपरेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुबारा सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य-क्रिया प्रायवेट नर्सिंग होम में कराई गई हो। परन्तु इस बाबत प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

**SAMPLE**

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक सी-3/14/86/3/1, दिनांक 5-4-1988]

(6) यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शल्य क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबारा नसबन्दी कराने पर चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। इस छः दिन में रविवार, सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानीय अवकाश सम्मिलित है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 820/386/1(3), दिनांक 26-11-75]

(7) महिला कर्मचारी की प्रथम शल्य - क्रिया असफल हो जाने की स्थिति में दुबारा शल्य-क्रिया कराने पर पुनः 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पाने की पात्रता है, यह अवकाश चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत होगा। अन्य शर्तें पूर्व के ज्ञापन दिनांक 26-11-75 के अनुसार यथावत लागू रहेंगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रांक 54-52-1-3-76, दिनांक 12-2-76]

(8) जिस कर्मचारी की नसबन्दी हो चुकी है और वह कर्मचारी यदि अविवाहित है या उसके दो से कम बच्चे हैं या नसबन्दी कराने के बाद सभी बच्चों की गाड़ी जे —— और जहाँ जहाँ

21 दिवस का अवकाश स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु ऐसी शल्य-क्रिया शासन ज्ञापन क्रमांक 300/31/1(3), दिनांक 21-6-79 में उल्लिखित केन्द्रों पर ही कराना आवश्यक है।

#### 8. कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

(1) राज्य स्तर पर-

अध्यक्ष एवं महामंत्री को एक वर्ष में

अधिक से अधिक 10 दिन

(2) संभाग एवं जिला स्तर-

अध्यक्ष एवं सचिव को एक वर्ष में

अधिक से अधिक 7 दिन

(3) तहसील एवं विकास खण्ड स्तर-

अध्यक्ष एवं सचिव को एक वर्ष में अधिक

से अधिक 3 दिन

उपरोक्त निर्देशों का पालन करने के निर्देश पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.10-37/98/1-15/कक, दिनांक 7-12-98 द्वारा जारी किए गए हैं तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के पूर्व सक्षम पदाधिकारियों को संबंधित कर्मचारी का उनके संघ में धारित पद पर तथा पात्रता को विचार में लेना आवश्यक होगा।

#### 9. विशेष विभाग जिन्हें सामान्य नियम लागू नहीं होते

(1) पुलिस और जेल विभाग - सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी जिन्हें कर्तव्य पर रहना होता है, जैसे पुलिस और जेल विभाग के शासकीय सेवकों को कैलेंडर वर्ष में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2942/2068/1 (3)/60, दिनांक 13-12-60]

(2) स्वास्थ्य विभाग - स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवकों को, जिन्हें सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, पुलिस तथा जेल विभाग के शासकीय सेवकों के समान वर्ष में 16 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।  
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 2412/3182/17-मेडी-1, दि. 28-2-75]

यह आदेश उन चिकित्सकों को भी लागू है, जिन्हें संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ के आदेश क्रमांक जन. 78/7052/7119, दिनांक 22-9-78 द्वारा सप्ताह में एक दिन छ्यूटी ऑफ स्वीकृत किया गया है। अतः ऐसे चिकित्सकों को जिन्हें साप्ताहिक ऑफ मिलता है, उन्हें वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश ही मिलेगा।

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक

5748/10528/17-मेडी-1, दि. 20-12-79]

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्य के लिये उपस्थित होना पड़ता है, उन्हें शासन के ज्ञापन दिनांक 28-2-75 में स्वीकृत 16 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त चार दिन का अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत होगा।

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 26/11/85/17-मेडी-1,

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग के ज्ञाप क्रमांक 4954/8615/17-मेडीकल-1, दिनांक 10-10-80 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी सहायक शल्य चिकित्सकों को रविवार के दिन डे ऑफ दिया जाये, साथ ही राजपत्रित छुट्टियों के एवज में विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाये। कार्यालय प्रमुख स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यदि वे चाहें तो डे ऑफ रविवार के बजाय सप्ताह में किसी दूसरे दिन नियत कर सकते हैं।

**10. कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश**

मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-30/88/3/4 स 9 दिनांक 30-11-88 द्वारा आदेशित किया गया है कि आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों का वर्ष में अधिकतम तेरह दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाये। सप्ताह में किसी भी एक दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाये।


**11. दैनिक वेतनभोगी तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों को परिवार नियोजन विशेष अवकाश**

(1) राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दैनिक वेतनभोगी तथा वर्कचार्ज एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पत्नियों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशन कराये जाने पर उनके पति (कर्मचारी) को सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय। इस अवकाश की कर्मचारी को तभी पात्रता होगी जब कि वह आपरेशन करने वाले डाक्टर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

**SAMPLE**

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-1/91/3/1, दिनांक 31-10-1991]

(2) ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो किसी ऐसे कार्य पर लगे हुए हैं (अर्थात् दिन के किसी भाग के केवल आंशिक समय के लिये नहीं) और नसबन्दी कराने या महिला कर्मचारियों के मामले में लूप पहनने से, कम से कम तीन माह पूर्व से सेवा में हों और उसके बाद कम से कम तीन महिने के लिये उनके नौकरी में चने रहने की संभावना हो, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश देकर नियमानुसार मजदूरी दी जा सकती है :-



(i) नसवंदी आपरेशन करने वाले पुरुषों को ऐसी अवधि तक जो छः दिन से अधिक न हों, मजदूरी,

गैर प्रसव बंधीकरण कराने वाली महिला कर्मचारियों को ऐसी अवधि तक जो 14 दिन से अधिक न हो, मजदूरी

(ii) लूप पहनने वाली महिला कर्मचारियों को एक दिन की मजदूरी

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक एफ. सी. 3-8-89/3/49, दिनांक 16-3-89]

**12. हरितालिका के उपलक्ष में महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश**

यदि कोई महिला कर्मचारी हरितालिका का व्रत रखने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा।

1. कर्मचारी खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 12268/2527/1, दिनांक 17-10-57 के अनुसार अखिल भारतीय ख्याति के खिलाड़ी शासकीय कर्मचारी यदि अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की विदेशों में या भारत में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक आवश्यकता होने की स्थिति में कोई अन्य देय नियमित अवकाश इसके तारतम्य में लिया जा सकता है। ऐसी दशा में विशेष प्रकरण मानकर विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसे सामान्य आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

यह विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न मामलों में दिया जा सकता है :-

- (क) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेल-कूद में भाग लेने के लिए; तथा
- (ख) जब संबंधित सरकारी सेवक का भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न संगठनों में से किसी में दल के सदस्य की हैसियत से चयन किया जाये:-

- (i) अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन;
- (ii) भारतीय हॉकी फेडरेशन;
- (iii) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड;
- (iv) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन;
- (v) अखिल भारतीय लॉन टेनिस एसोसिएशन;
- (vi) भारतीय बेडमिंटन एसोसिएशन;
- (vii) भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन;
- (viii) अखिल भारतीय महिला हॉकी एसोसिएशन;
- (ix) भारतीय राष्ट्रीय रायफल एसोशिएशन; अथवा

(ग) राष्ट्रीय महत्व के खेल जिसमें भाग लिया जाना है, दो राज्यों के मध्य, दो जोन के मध्य या दो सर्किल के मध्य आधार पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं तथा संबंधित सरकारी सेवक राज्य, जोन अथवा सर्किल, जैसी भी स्थिति हो, के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया गया है।

यह रियायत तब नहीं दी जावेगी जब वह अपनी निजी हैसियत में भाग ले रहा है।

2. मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के ज्ञाप क्रमांक सी-3, दिनांक 22-11-89 द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या पंजीकृत खेल संस्थानों के खेलों की राज्य, संभाग या जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों (आफिशियल्स) जैसे रेफरी, अम्पायर, उद्घोषक या व्यवस्था से संबंधित के साथ-साथ गन्य के निगम/मंडलों व संस्थानों के कर्मचारियों को भी उपरोक्त वर्णित 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश इस शर्त के अध्यधीन मंजूर किया जावे कि इससे उनके शासकीय उत्तरदायित्व में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। यह विशेष आकस्मिक अवकाश संबंधित कर्मचारी के विभाग/कार्यालय या संस्था प्रमुख द्वारा मंजूर किया जा सकता है।

3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ——————

SAMPLE

SAMPLE



राज्य/संभाग/ जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने अथवा आयोजन में सहयोग देने हेतु संबंधित प्रतियोगिताओं के आयोजन सचिव अथवा खेल संघ के सचिव/अध्यक्ष के पत्र का प्रमाणीकरण के आधार पर तत्काल विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जावे। इस संबंध में उचित समझा जावे तो खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात् भाग लेने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जावे।

#### 14. दिसम्बर माह में आकस्मिक अवकाश का मंजूर किया जाना

शासन के यह निर्देश है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दिसम्बर माह में दो दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश मंजूर न किया जाए। यह अवकाश भी पर्याप्त कारण के आधार पर ही दिया जाये। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दो दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जाये। संबंधित सक्षम अधिकारी अवकाश मंजूर करते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि इससे सरकारी कामकाज तो प्रभावित नहीं होगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी.13-7/1/3/99, दिनांक 25-2-99 तथा क्रमांक सी.

3-28/2002/3/1, दिनांक 4-12-2000]

**SAMF-LU**

#### 15. जैन धर्मावलंबियों को विशेष अवकाश

1. शासकीय सेवाओं/संस्थाओं में कार्यरत जैन धर्मावली के कर्मचारियों को अनन्त चतुर्दशी पर्व पर विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। यह विशेष आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जिन्होंने इस दिन के अवकाश के लिए आवेदन दिया है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एम.3-5/85/1/4, दिनांक 2-8-1985]

2. उपरोक्त के अलावा प्रतिवर्ष क्रमशः भाद्रपद कृष्णपक्ष 11 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी या पंचमी तक उनके पर्युषण पर्व के लिए तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष 5 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिए कार्यालय में 12 बजे तक पहुँचने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़े और कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन रखें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एम-3-5/1990/1/4, दिनांक 17-1-1992]

#### 16. केन्द्रीय निःशक्त कर्मचारियों की भांति राज्य के निःशक्त कर्मचारियों को 10 दिवसीय विशेष अवकाश

भारत सरकार, कार्मिक तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक No. 28016/02/2007-Estt. (A) dated 14 November, 2007 द्वारा केन्द्रीय निःशक्त कर्मचारियों को निःशक्तजनों के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा आयोजित, सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य शासन तथा राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, आयोग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी निःशक्तजनों के उत्थान हेतु आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दिया जाये। गव. 10 दिनों का

स्वीकृति हेतु वही अधिकारी प्राधिकारी होगा, जो सामान्य आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत है।

3. उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु केवल निम्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये प्रदान किया जा सकेगा : -

1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे-यू.एन.ओ. विश्व बैंक, इत्यादि द्वारा आयोजित सेमीनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।
2. विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा/पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।
3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 50 से 55 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों की मान्य संस्थाएँ।
4. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार।
5. केन्द्र सरकार /राज्य सरकार की संस्थाएँ एवं एजेन्सियाँ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 13-9/2012/1/3, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012]



**SAMPLE**

होगी। उक्त अवधि अर्द्ध वेतन अवकाश लेखा में से यह मानकर कम कर दी जायेगी कि कर्मचारी अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहा है। यदि देय अर्द्ध वेतन अवकाश खाते में कम है तो शेष अवधि असाधारण अवकाश के समान मानी जावेगी। साथ ही साथ ऐसा सरकारी सेवक अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी भागी हो सकता है।

( 13 ) अवकाश का हक - अस्थाई एवं स्थाई शासकीय सेवकों को समान रूप से देय।

( 14 ) खाते में जमा अवकाश की सूचना- अर्जित अवकाश/अर्द्धवेतनिक अवकाश स्वीकृति आदेश में उसके खाते में शेष बचे अवकाश का उल्लेख होना चाहिए। [नियम 21]

### विभिन्न प्रकार के अवकाश

#### 1. अर्जित अवकाश ( Earned leave )

विश्रामवकाश विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश-(1) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता है।

( 2 ) यह अवकाश प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को 15-15 दिन का अवकाश लेखा में अग्रिम जमा कर दिया जाएगा।

( 3 ) अधिकतम जमा अवकाश की सीमा 300 दिन की है। इससे अधिक होने पर लेप्स हो जाता है। किन्तु यदि खाते में पिछला शेष 285 से 300 दिन का है तो 15 दिन को नीचे पृथक से लिख देना चाहिये। यदि शासकीय सेवक चालू छःमाही में अवकाश का लाभ उठाता है तो पहले इन 15 दिनों में से कम किया जायेगा, अन्यथा 300 दिन से जितना अधिक है वह लेप्स हो जायेगा।

( 4 ) यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना अपने नये स्थान पर शीघ्र उपस्थित होता है, तो पदग्रहण काल नियम, 1982 के नियम 6 के उपनियम (1) के अनुसार उतने दिन जितने का लाभ उसने वस्तुतः नहीं उठाया है, उसके अर्जित अवकाश लेखा में जोड़ दिये जाएंगे। किन्तु इस प्रकार जोड़ने से अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम सीमा में 300 दिन से अधिक की वृद्धि नहीं होगी।

( 5 ) एक समय में यह अवकाश 180 दिन तक मंजूर किया जा सकता है।

( 6 ) यह अवकाश चिकित्सा आधार पर या निजी कारणों के आधार पर लिया जा सकता है। [नियम 25]

( 7 ) इस अवकाश अवधि में उसे अवकाश वेतन की पात्रता होगी। अवकाश वेतन उसी दर से प्राप्त होगा जिस दर से अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि को उसका वेतन था। [नियम 36]

इसके साथ महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होगा। विकलांग भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

अर्द्ध वर्ष में नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों को तथा सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को अवकाश की पात्रता - नवनियुक्त शासकीय सेवकों को प्रथम छःमाही में  $2\frac{1}{2}$  दिन प्रतिमाह की दर से अवकाश खाते में जमा किया जाएगा। इसी प्रकार छःमाही के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों को भी इसी दर से उसके खाते में

की पात्रता उसे होगी और आगे पहली जुलाई को 15 दिन उसके खाते में लिख दिये जायेंगे। इसी प्रकार किसी छःमाही में सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवा से त्यागपत्र देने वाले शासकीय सेवकों के अवकाश की गणना की जायेगी। यदि शासकीय सेवक पिछली छःमाही में बिना वेतन अवकाश (असाधारण अवकाश) पर रहा है या उसकी कोई अवधि अकार्य दिवस मानी गई है, तो आगामी तिथि 1 जनवरी या 1 जुलाई को अग्रिम जमा में से 1/10 दिन की दर से अधिकतम 15 दिन उसके देय अवकाश में से कम कर दिये जाना चाहिये।

[नियम 26]

विश्रामावकाश विभाग के शासकीय सेवकों को अवकाश - (1) विश्रामावकाश विभाग के शासकीय सेवकों के अवकाश खाते में प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को तथा पहली जुलाई को दो किसी में 5-5 दिनों का अर्जित अवकाश अग्रिम में जमा होगा।

(2) यदि शासकीय सेवक पिछली छःमाही में बिना वेतन अवकाश (असाधारण अवकाश) पर रहा है या उसकी कोई अवधि अकार्य दिवस मानी गई है, तो आगामी तिथि 1 जनवरी या 1 जुलाई को अग्रिम जमा में से 1/30 दिन की दर से अधिकतम 5 दिन उसके देय अवकाश में से कम कर दिये जाना चाहिये।

(3) इसी प्रकार जिस छःमाही में नियुक्त अथवा सेवा समाप्त होती है, उस छःमाही में की गई सेवा के पूर्ण माह के लिए 5/6 दिन प्रतिमाह की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा।

(4) जिस वर्ष उसने पूर्ण विश्रामावकाश का उपभोग किया है, उस वर्ष में उसे किसी भी अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

(5) उस वर्ष जिसमें शासकीय सेवक विश्रामावकाश का आंशिक उपभोग करता है, अर्जित अवकाश की पात्रता 20 दिन के ऐसे अनुपात में होगी जो उपभोग न किये गये विश्रामवकाश के दिनों तथा संपूर्ण विश्रामवकाश के दिनों में हो।

(6) यदि किसी वर्ष शासकीय सेवक किसी विश्रामवकाश का उपभोग नहीं करता है तो उसे उस वर्ष के लिए अर्जित अवकाश की पात्रता नियम 25 के अनुसार होगी तथा उपरोक्तानुसार अग्रिम जमा किया गया अर्जित अवकाश (10 दिन का) इस अवकाश में से समायोजित कर लिया जाएगा।

(7) विश्रामावकाश विभाग के लिए कैलेंडर वर्ष की गणना 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के स्थान पर 1 जुलाई से की जानी चाहिए, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र पहली जुलाई से प्रारंभ होता है अथवा एक वर्ष की गणना 12 महीनों के वास्तविक कर्तव्य निर्वहन से की जाना चाहिए।

(8) विश्रामवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के संयोजन में अथवा निरंतरता में लिया जा सकता है, परन्तु इस प्रकार लाभ उठाने की अधिकतम सीमा 180 दिन से अधिक नहीं होगी।

(9) अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम सीमा 300 दिन से अधिक नहीं होगी।

[नियम 27]


गणना उदाहरण -

रोके गये दिनों की संख्या X 20

SAMPLE

वर्ष में कुल विश्रामवकाश के दिनों की संख्या

माना कि गंके गये दिनों की संख्या 25 है तथा कल विश्रामवकाश के दिनों की संख्या 65 है



## 2. अर्द्ध वेतन अवकाश ( Half Pay Leave )

(1) सेवा के एक वर्ष के लिए 20 दिन के अवकाश की पात्रता है, जिसे प्रत्येक कैलेंग्डर वर्ष के पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को 10-10 दिनों का अग्रिम में जमा किया जाएगा।

(2) अर्द्ध वर्ष में नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों को तथा सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को अवकाश की पात्रता - नवनियुक्त शासकीय सेवकों को तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अवकाश प्रथम छःमाही में 5/3 की दर से जमा किया जाएगा। इसी प्रकार किसी छःमाही में सेवानिवृत्त हो रहे अथवा सेवा से त्यागपत्र देने वाले शासकीय सेवक को भी इसी दर से उसके खाते में अवकाश जोड़ा जायेगा।

(3) यदि किसी शासकीय सेवक की किसी छःमाही में अनुपस्थिति अथवा निलंबन की कुछ अवधि अकार्य दिवस की तरह मानी गई हो तो आगामी छःमाही के प्रारंभ में उसके अर्द्धवेतन अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से ऐसे अकार्य दिवस का 1/18 वां भाग कम कर दिया जाएगा।

(4) इसके संचयन की अधिकतम सीमा का कोई बंधन नहीं है।

(5) इसको लेने की अधिकतम सीमा का कोई बंधन नहीं है।

(6) यह चिकित्सा आधार पर या निजी कारणों के आधार पर लिया जा सकता है।

(7) यह अवकाश चिकित्सा आधार पर मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि अवकाश मंजूर करने वाले प्राधिकारी को विश्वास करने की यथोचित संभावना न हो कि कर्मचारी उसकी समाप्ति पर कर्तव्य पर वापिस लौट आयेगा।

[नियम 28]

(8) इस अवकाश की अवधि में पूर्ण अवकाश वेतन का आधा वेतन तथा उस पर देय महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।

[नियम 36]

(9) इस अवधि में मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होगा, किन्तु विकलांग भत्ता नहीं।

### लघुकृत अवकाश

(1) जितने दिन का लेखा में अर्द्ध वेतन अवकाश जमा हो उसके आधे के बराबर लघुकृत अवकाश लिया जा सकता है।

(2) यह केवल चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर ही लिया जा सकता है। इसलिए इसे मेडिकल लीव कहते हैं।

(3) यह बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर भी लिया जा सकता है, जब ऐसे अवकाश का उपभोग अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु किया जा रहा है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा लोकहित में प्रमाणित किया गया हो। ऐसा अवकाश संपूर्ण सेवाकाल में 180 दिन तक का लिया जा सकता है।

(4) यह अवकाश तभी मंजूर होगा जब स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि अवकाश समाप्त पर शासकीय सेवक कर्तव्य पर वापस लौट आएगा। यदि वह अवकाश पर रहते हुए सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या सेवानिवृत्त होने की अनुमति चाहता है तो लघुकृत अवकाश को अर्द्ध वेतन अवकाश के समान समझा जायेगा तथा लघुकृत अन्तर्निवृत्त अवकाश के मध्य



SAMPLE

जिससे वह आगे की सेवा के लिए अयोग्य हो गया है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो वसूली नहीं होगी।

(5) यह अवकाश अर्द्ध वेतन अवकाश लेखा में से दुगुना कम किया जाता है।

[नियम 29]

(6) इस अवकाश के दौरान अर्जित अवकाश के समान वेतन-भत्ते की पात्रता होती है। अर्थात् पूरा वेतन और भत्ता।

#### 4. अदेय अवकाश (Leave Not Due)

(1) यह अवकाश तब लिया जाता है, जब खाते में कुछ भी अवकाश नहीं बचा है।

(2) यह उतने अर्द्धवेतन अवकाश तक मंजूर किया जायेगा, जितना उसके भविष्य में अर्जित करने की संभावना हो। इसलिये यह अर्द्ध वेतन अवकाश लेखा को विकलित किया जाता है।

(3) मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विश्वास करने का पर्याय कारण हो कि शासकीय सेवक अवकाश की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापिस लौट आएगा।

(4) यह अवकाश संपूर्ण सेवाकाल में 360 दिन तक मंजूर किया जा सकता है। इसमें से एक समय में 90 दिन तथा कुल 180 दिन तक चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना भी स्वीकार किया जा सकता है।

(5) जिस शासकीय सेवक को यह अवकाश मंजूर किया गया है यदि, वह सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या कर्तव्य पर लौटे बिना सेवानिवृत्ति ले लेता है, तो अदेय अवकाश निरस्त माना जायेगा और ऐसा त्याग-पत्र या सेवानिवृत्ति उस दिनांक से मानी जायेगी जिस दिनांक से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था तथा उससे अवकाश वेतन वापस ले लिया जायेगा।

(6) जब कोई शासकीय सेवक अदेय अवकाश का उपभोग कर अपने कर्तव्य पर वापस आता है, परन्तु अर्द्ध वेतन अवकाश अर्जित करने के पहले ही सेवा से त्याग पत्र दे देता है या सेवानिवृत्ति हो जाता है, तो वह उस सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने का भागी होगा जितना बाद में अवकाश अर्जित नहीं किया गया, परन्तु यदि सेवानिवृत्ति उसकी बीमारी के कारण हुई है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अवकाश वेतन वापस नहीं होगा।

[नियम 30]

(7) इस अवकाश की अवधि में उसे अर्द्ध वेतन अवकाश के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त होगा।

[नियम 36]

#### 5. असाधारण अवकाश (Extra-ordinary Leave)

(1) असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में मंजूर किया जाता है :-

- (अ) जब अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं है; अथवा
- (ब) देय है किन्तु शासकीय सेवक इसकी मांग करे।

(2) यह चिकित्सा आधार पर लिया जा सकता है या निजी कारणों के आधार पर भी लिया जा सकता है।



**SAMPLE**

(4) इस अवकाश की अवधि में किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होती है। अर्थात् यह बिना वेतन का अवकाश है। इसलिये इसे L.W.P. कहते हैं।

#### 6. परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो परिवीक्षा पर हो तथा प्रशिक्षु को अवकाश

(1) किसी परिवीक्षाधीन को, इन नियमों के अन्तर्गत सभी प्रकार के अवकाशों की उसी प्रकार पात्रता होगी जैसे कि वह परिवीक्षा के बजाय स्थाई पद पर कार्य कर रहा हो।

(2) यदि किन्हीं कारणों से किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवायें समाप्त करना प्रस्तावित हो तो उसको स्वीकृत अवकाश निम्न अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए-

(क) कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि में या बढ़ाई हुई अवधि के बाद;

(ख) उस तिथि के बाद जिस दिन से सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हों।

(3) प्रशिक्षु को निम्न प्रकार का अवकाश मंजूर किया जा सकता है -

(क) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अर्द्ध वेतन के बराबर एक वर्ष की प्रशिक्षिता में एक माह का अवकाश;

(ख) अवकाश नियम 31 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश। [नियम 32]

#### 7. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद अवकाश

सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद शासकीय सेवक को कोई अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। [नियम 34]

#### 8. सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त व्यक्ति को अवकाश

सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त व्यक्ति को इस प्रकार समझा जाएगा कि उसकी सेवा में प्रथम नियुक्ति हो।



#### मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

(1) पात्रता- केवल महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित बचे हैं।

(2) कितने दिन का देय - 180 दिन का।

(3) अवकाश वेतन - उस वेतन की दर से जो वेतन अवकाश प्रारंभ होने के तुरन्त पूर्व वह प्राप्त कर रही थी।

(4) इसे अवकाश लेखा में नहीं लिखा जाता है।

(5) इसके तारतम्य में अन्य किसी प्रकार का अवकाश लिया जा सकता है।

(6) जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिए बिना किसी महिला शासकीय सेवक को गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के मामले में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिए पूरे सेवा काल में 45 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रसूति अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

गर्भात का प्रकरण माना जाएगा। किन्तु भयभीत कर कराये गये गर्भात के लिए अवकाश मंजूर नहीं किंगा जाएगा।

[नियम 38]

#### 10. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

(1) पुरुष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान है, उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह के अन्दर यह अवकाश लिया जा सकता है।

(2) अधिकतम अवकाश की सीमा 15 दिन है।

(3) ऐसे अवकाश काल में उस अवकाश वेतन के बराबर वेतन की पात्रता होगी जो वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्व दर से प्राप्त कर रहा था।

(4) इसे किसी अन्य प्रकार के देय अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

(5) इसे अवकाश लेखा में दर्ज नहीं किया जाता है।

(6) यदि उक्त निर्धारित अवधि में अवकाश नहीं लिया गया है तो दावा समाप्त हो जाता है।

[नियम 38-क]

#### 11. दत्तक ग्रहण अवकाश (Child adoption Leave)

(1) किसी माहिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन (दत्तक लिए गए बच्चे की आयु एक वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अवधि का दत्तक ग्रहण अवकाश मंजूर किया जा सकता है। अर्थात् पहले से एक बच्चा मौजूद है और यदि वह एक बच्चा गोद लेना चाहे तो उसे यह अवकाश मिल सकता है।

(2) इस अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश संयोजित किया जा सकता है।

(3) इस अवकाश काल में प्रसूति अवकाश के समान वेतन की पात्रता होगी।

(4) इस अवकाश को अवकाश लेखा में दर्ज नहीं किया जाता है। [नियम 38-ख]

#### 12. महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश

महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन-पोषण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश की पात्रता होगी। उक्त अवकाश के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

(1) यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।

(3) स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिखित नहीं की जाती।

SAMPLE



- (4) संतान पालन अवकाश ऐतु आवेदन अवकाश नियम, 2010 के प्रपत्र-13 में प्रमाणित किया जायेगा।
- (5) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा। यह अवकाश नियम के अन्तर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- (6) अवकाश अवधि के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
- (7) संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवेदन को आवेदन- पत्र के कालम-10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। यह अवकाश बच्चे के पालन-पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(8) संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किन्तु सामान्यतः कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।

(9) अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्ताहिक अवकाश स्वयंभेव अवकाश के साथ संयोजित माने जावेंगे तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किये जाएंगे।

(10) संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा विशेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।

[छ.ग. शासन, वित्त विभाग क्र. 492/एफ-2014-71-00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4 अक्टूबर 2018]



#### जानबूझकर पहुँचाई गई क्षति हेतु विशेष नियोग्यता अवकाश

- (1) सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे शासकीय सेवक को (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) जिसे जानबूझकर पहुँचाई गई या हुई क्षति के मामले में या अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन या अपनी शासकीय अवस्थिति के परिणामस्वरूप नियोग्य हो गया हो, विशेष नियोग्यता अवकाश मंजूर कर सकता है।
- (2) ऐसा अवकाश तब ही मंजूर किया जाएगा जब तक कि ऐसी घटना जिसके कारण नियोग्यता हुई है, के गठित होने के 3 माह के भीतर नियोग्यता प्रकट न हुई हो तथा नियोग्य व्यक्ति ने इसे जानकारी में लाने के लिए तत्परता न दिखाई हो।
- (3) ऐसा अवकाश किसी अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा प्रमाणित किये जाने पर मंजूर किया जाएगा।
- (4) अवकाश की अधिकतम अवधि 24 माह होगी।
- (5) यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

**SAMPLE**

नहीं की जाएगी तथा पूरे सेवाकाल में 24 माह तक मंजूर किया जा सकता है।

(7) इस अवकाश को अन्य किसी प्रकार के अवकाश के साथ कुछ शर्तों के अधीन संयोजित किया जा सकता है।

(8) इसे अवकाश लेखा में दर्ज नहीं किया जाता है।

(9) इस अवकाश के दौरान शासकीय सेवक उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन आर्हत करेगा जो ऐसे अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व दर से आहरित कर रहा था।

(10) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं है।

(11) अध्ययन अवकाश को पदोन्नति, पेंशन तथा वरिष्ठता हेतु सेवा के रूप में गिना जाएगा। इसकी अवधि वेतनवृद्धि के लिए कर्तव्य के समान व्यतीत अवधि मानी जाएगी।

### सेवा के दौरान समर्पण अवकाश -

यह सुविधा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 120/3408/90/नि-6/चार, दिनांक 17-1-1992 द्वारा आदेश दिनांक से वापस ले ली गई है।

### 16. सेवानिवृत्त पर अवकाश नगदीकरण (Leave Encashment on Retirement)

(1) पात्रता - अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले, शासन द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने वाले तथा असमर्थता पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को।

(2) अधिकतम मात्रा - सेवानिवृत्त होने के दिनांक को अवकाश लेखे में शेष बचे अर्जित अवकाश के बराबर, परन्तु 300 दिन से अधिक नहीं।

(3) एकमुश्त भुगतान - अवकाश वेतन के बराबर स्वीकार्य नगद राशि सेवानिवृत्त पर देय होगी तथा उसकी अदायगी एक ही बार निपटारे के रूप में की जायेगी।

(4) अवकाश वेतन - नगद राशि की अदायगी अर्जित अवकाश के लिये स्वीकार्य अवकाश वेतन तथा प्रचलित दरों पर इस अवकाश वेतन पर देय महंगाई भत्ते के बराबर राशि।

(5) अन्य भत्ते - महंगाई भत्ते के अलावा अन्य कोई भी भत्ता देय नहीं। इस प्रकार देय राशि से पेंशन एवं पेंशन के समतुल्य उपदान की राशि नहीं काटी जायेगी।

(6) स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी - अर्जित अवकाश स्वीकार करने वाला सक्षम अधिकारी ही इसे स्वीकार करने हेतु सक्षम है। इसे स्वीकार करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे सक्षम अधिकारी को अपने आप स्वीकार करना चाहिए।

[वित्त विभाग क्रमांक 1/13/77/नि-1/चार, दिनांक 16-9-80]

गणना उदाहरण -

क्र. विवरण	उदाहरण क्र. 1	उदाहरण क्र. 2
1. नियुक्ति दिनांक	10-4-57	16-6-63
2. सेवानिवृत्ति की तिथि	30-6-94	30-11-95



SAMPLE

## अवकाश नियम

निरुक्ति दिनांक से 9-3-87 तक कुल	29 वर्ष	: 219
रोता अवधि	11 माह	23 वर्ष
10-3-87 से सेवानिवृत्ति तिथि तक कुल	7 वर्ष 3 माह	8 माह 25 दिन
रोता अवधि		8 वर्ष
कॉलम 3 में अंकित अवधि हेतु समर्पण	29 x 15	
अवकाश की पात्रता (वर्ष में 15 दिन की दर से)	= 435 दिन	23 x 15
कॉलम 4 में अंकित अवधि हेतु समर्पण	8 वर्ष 4 x 15 =	9 वर्ष 4 x 15 =
अवकाश की पात्रता (वर्ष में 7 दिन की दर से)	60 दिन (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन की दर से)	60, 1x7 = कुल 67 दिन (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन के मान से) खण्ड वर्ष के लिए 7 दिन के मान से।



टीप- कालम (3) एवं (4) के खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए	
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	495 दिन
8. घटाइये- सेवा के दौरान उठाया गया अवकाश समर्पण का लाभ	232 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	263 दिन
	204 दिन

**SAMPLE**

टीप- उदाहरण क्रमांक “अ” के कालम (9) में अंकित 263 दिन की अवधि 240 दिन से अधिक है, अतः कर्मचारी को 240 दिन अथवा उतने दिनों के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान देय होगा जो सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके अवकाश खाते में जमा हो।

क्रमांक 2 उदाहरण क्रमांक “ब” के कालम (9) में अंकित 204 दिन की अवधि के अर्जित अवकाश की समर्पण की पात्रता है, यदि कर्मचारी के लेखे में इससे अधिक अर्जित अवकाश जमा है, तो 204 दिन ही समर्पण की पात्रता है एवं इससे कम अर्जित अवकाश जमा है तो जाने की दिनों के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान देय होगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होंगे। पूर्व में अन्यथा निपटाएं गए प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा।

[छ.ग. वित्त विभाग क्र. 211/एफ 2014-71-00165/वि/नि/चार, दिनांक 12 मई 2014]

टीप- आदेश क्रमांक 393/एफ. 2014-04-01385/वि/नि/चार, दिनांक 27-3-2014 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त गणना दिनांक 25-9-2012 से लागू मानी जावेगी।

17. निलंबित शासकीय सेवक को अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता

(1) ऐसे शासकीय सेवकों के मामले में जो निलंबित रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं, उनके पेशन/प्रेच्छुटी के मामलों का निराकरण पूर्ण रूप से तभी संभव हो पाता है जब उनके निलंबन प्रकरण

3. संचालक, आयुष - सदस्य  
 4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ - सदस्य  
 5. वित्त विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य  
     (जो उप सचिव की श्रेणी से निम्न का अधिकारी न हो)  
 6. दो, विषय विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा नामांकित) - सदस्य  
 13. जाँच (परीक्षण)/उपचार हेतु निजी संस्थाओं को मान्यता

(1) राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थायें, कर्मचारियों के रोगों की जाँच/उपचार के लिये अपनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कराने हेतु, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा विहित शुल्क के साथ विहित प्ररूप में, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को आवेदन कर सकेंगे।

(2) मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन (आवेदनों) की सम्यक् जाँच (छानबीन) के पश्चात् यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा गठित एक समिति द्वारा उनका निरीक्षण किया जायेगा।

(3) राज्य शासन, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर, राज्य के भीतर/राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(4) राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उच्च कोटि के उपचार की सुविधा की उपलब्धता पर विचार करते हुए विशिष्ट रोग (रोगों) के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सकेगा। ऐसी समिति की अनुशंसा उपरान्त राज्य शासन ऐसी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर सकेगा।

#### 14. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दावा

(1) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, प्ररूप-एक में व्यय किये जाने की तारीख के छोड़े माह की अवधि के भीतर नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु जहाँ कर्मचारी स्वयं ही नियंत्रण प्राधिकारी हो, वहाँ छः माह की कालावधि की गणना को पार्थिकारी को मांग प्रस्तुत किये जाने की तारीख के संदर्भ में की जायेगी।

(2) इस नियम में उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप-दो में आवश्यक प्रमाण पत्र तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किये गये नगद पत्रक (कैश मेमो) रसीदें, जो उपचार और कमरे के किराये के व्यय के भुगतानों से संबंधित हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे :

परन्तु जहाँ प्राधिकारी चिकित्सा परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियाँ, मेडिकल स्टोर्स डिपो दर सूची से बाहर की हों, वहाँ ऐसे मामलों में, जहाँ पर स्वयं प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक न हो, आवश्यक प्रमाण पत्र पर, यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जानेंगे।

**बहाल होने पर भुगतान की गई राशि का समायोजन-** मूल नियम 54-ए के अन्तर्गत शासकीय सेवक को सेवा में पुनः बहाल किये जाने पर वेतन तथा भत्तों का भुगतान उस राशि को समायोजन करने के बाद किया जायेगा जो उसने निष्कासन, सेवामुक्ति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा बहाल होने की तिथि के मध्य नियोजन द्वारा अर्जित किया हो। यदि इस नियम के अन्तर्गत स्वीकार्य उपलब्धियाँ अन्य स्थान पर नियोजन से अर्जित राशि के बराबर या कम हों तो शासकीय सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा। [मूल नियम 54-ए(1)(2)(3)(4)(5)]

#### 10. निलम्बन काल में अवकाश

पात्रता नहीं।

[मूल नियम 55]

#### 11. निलम्बन अवधि में चिकित्सा प्रतिपूर्ति

चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अधीन प्रतिपूर्ति पाने की पात्रता है।

[छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 का नियम (2)]

#### 12. निलम्बन अवधि में शासकीय आवास/निःशुल्क आवास की पात्रता

(i) निलम्बनावधि में शासकीय आवास निलम्बन के पूर्व दिये जा रहे किराये पर ही धारण

किए रहने की पात्रता होगी। [मूल नियम 45-सी (छः)]

(ii) निलम्बन अवधि में आवास की लाइसेंस फीस जहाँ निःशुल्क आवास की पात्रता

हो-

(1) निलम्बन की अवधि में सरकारी कर्मचारी को मिली मुफ्त आवास सुविधा को रिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वह आवास किसी विशेष पद से संबंधित न हो।

(2) निलम्बन की तिथि से मुफ्त आवास सुविधा स्थगित हो जायेगी।

(3) आवास का लाइसेंस शुल्क यह मानकर वसूल किया जाएगा जैसे कि वह किराया मुक्त आवास में नहीं रह रहा है।

(4) लाइसेंस शुल्क वसूली के लिये परिलब्धियाँ मूल नियम 45 सी (vi) के अनुसार होंगी अथवा नियत मानक शुल्क ही वसूल होगा।

(5) यदि बाद में निलम्बन से बहाल करने पर निलम्बन अवधि के लिये पूरा वेतन एवं भत्ते दिये जाते हैं, तो निःशुल्क आवास की सुविधा पुनः बहाल मान ली जायेगी और वसूल किया गया किराया वापस लौटा दिया जायेगा। इसी प्रकार निःशुल्क आवास के बदले गृह भाड़ा भत्ता जो दिया जाता है वह भी स्थगित रहेगा।

[मूल नियम 53 के नीचे एल.जी.आर.]

#### 13. निलम्बन अवधि में यात्रा भत्ता

निलम्बित कर्मचारी को विभिन्न सन्दर्भों में निलम्बन की अवधि में यात्रायें करनी पड़ती है। इन स्थितियों के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता है। यात्रा की स्थितियाँ -

(क) न्यायालय में उपस्थिति- ग्रामीण जैसे जगहों पर नियमित रूप से वापसी के दौरान में



दैनिक उपरिचयति पंजी

नामकरण का नाम /Name of Office: अस्सी राज्य विद्युत बोर्ड, अस्सी, झज्जूर

### Daily Attendance Register

23 / March 07/03/2023

SAMPLE

  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar Distt.- Korba/C.G



कार्यालय का नाम / Name of Office		दैनिक अप्रेंटिचेटि पंजी		Daily Attendance Register		साल / Year	
Name of Employee	Designation	Date		Date		Month	Year
डॉ. डी. ई. बोल्हा	प्राप्ति	1	2	3	4	5	6
डॉ. श्री. के. सारिन	प्राप्ति	7	8	9	10	11	12
डॉ. दी. बोल्हा वाणी	प्राप्ति	13	14	15	16	17	18
डॉ. धी. के. पाठेय	प्राप्ति	19	20	21	22	23	24
श्री ए. के. बिज्जा	उपराजि	25	26	27	28	29	30
श्री ए. के. विष्णव	उपराजि	31					
डॉ. ए. के. पाठेय	प्राप्ति						
मेरि कृष्णलोड पाठेय	प्राप्ति						
डॉ. ए. के. वसी	उपराजि						
जे. के. के. दुर्वे	उपराजि						
जे. ए. के. भूति	उपराजि						
श्री शंकुभारदुर्वे	प्राप्ति						
विक्रम शुभार	उपराजि						
कुलदेव लिखि	उपराजि						
मुख्य कंजली	प्राप्ति						

SAMPLE



  
PRINCIPAL  
Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar Distt.- Korba (C.G.)

क्रमांक No	रजिस्टरी का नाम / Name of Employee	वर्ग Designation	दिनांक / Date												दिनांक / Date																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
०१	डॉ. ई. ई. बेंगला	प्राचीन	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ							
०२	डॉ. अ. के. कोसिंग	प्राचीन	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ							
०३	प्रौद्योगिकी के लिए	प्राचीन	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ							
०४	प्रौद्योगिकी के लिए	प्राचीन	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ							
०५	डॉ. ई. एम. बेंगला	प्राचीन	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ						
०६	डॉ. ई. के. लालेश	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
०७	प्रौद्योगिकी के लिए	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
०८	डॉ. ई. के. लालेश	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
०९	डॉ. के. के. डुबे	प्राचीन	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ						
१०	डॉ. स्पैस के लिए	प्राचीन	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
११	श्री विजय उमर दुबे	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
१२	श्री विजय उमर	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
१३	श्री बुलेश्वर तिक्की	प्राचीन	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	सुश्री अंजली	प्राचीन	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


### दैनिक अपरिवर्ती पंजीय

कार्यालय का नाम / Name of Office: ग्राम्य भारती कॉलेज, खाड़ी नामा

माह / Month: अप्रैल 2022

पृष्ठा ५२

**SAMPLE**



PRINCIPAL

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar Distt. - Kerba (G.G.)

दैनिक उपरिक्षणि पंजी

कार्यालय का नाम / Name of Office- श्रीमंति गुरुजी आरटी सहारिकलप, हैदराबाद

### **Daily Attendance Register**

माह / Month जुलाई - 2023

SAMPLE



  
PRINCIPAL

ਇਤਿਕਾ ਉਪਰਿਖਤਿ ਪੰਜੀ

कार्यालय का नाम /Name of Office श्रीगंगाधर गणेश गार्हनिट्टलालप, हावी लाजार

## **Daily Attendance Register**

माह / Month

फरवरी - २०२५.

# SAMPLE



D. B. J.

## PRINCIPAL

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar Distt.- Korba (C.G)

### ऐलिक उपस्थिति पंजी

कार्यालय का नाम / Name of Office श्रीग्रन्थ गुरुद्वारा अमृतोदय सभालय  
वाराणसी

No.	कर्मचारी का नाम Name of Employee	पद Designation	तिथि / Date
01	डॉ. आर्द्धे के. कोइकर	प्रबोधक प्रबोधक	०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ ०१० ०११ ०१२
02	श्री मी. के. पाटेय	वर्षाचारी	CL
03	डॉ. ए. के. शिंदा	उपर्युक्त	CL
04	डॉ. एम. एम. वेलेश	संसाधन उपर्युक्त	CL
05	डॉ. ए. के. पाटेय	वर्षाचारी उपर्युक्त	CL
06	मी. अखिलेश पाटेय	संसाधन	CL
07	कृष्ण एम. के. पाटेय	उपर्युक्त	CL
08	डॉ. के. के. दुर्वा	वर्षाचारी उपर्युक्त	CL
09	डॉ. एस. कुमार शुक्ल	उपर्युक्त	CL
10	मी. शिव उमर दुर्वा	वर्षाचारी	CL
11	मी. विजय उमर	वर्षाचारी	CL
12	मी. कुलदत्त चिंही	वर्षाचारी	CL
13	मी. मनी अंजली	वर्षाचारी	CL

### Daily Attendance Register

माह / Month अक्टूबर 2023

तिथि / Date	०१	०२	०३	०४	०५	०६	०७	०८	०९	०१०	०११	०१२	०१३	०१४	०१५	०१६	०१७	०१८	०१९	०२०	०२१	०२२	०२३	०२४	०२५	०२६	०२७	०२८	०२९	०३०	०३१	
१०.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
११.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१२.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१३.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१४.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१५.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१६.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१७.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१८.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
१९.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२०.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२१.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२२.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२३.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२४.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२५.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२६.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२७.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२८.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
२९.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
३०.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									
३१.१०.२३	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL									

SAMPLE

PRINCIPAL

Govt. Gramya Bharati College  
Hardibazar Distt., Korba (C.G.)



Gramya Bharati College, HardiBazar (Distt-Korba (C.G.))  
Non Regular Bill for the month year : 02/2024  
Sl No. , Sl Date : 119.20/02/2024

KRB-HED-015  
119.20/02/2024  
Sl No.

(03) वि. पि. और उच्च शिक्षा  
(103) सरकारी कॉलेज और संस्थाएँ  
(0101) संस्कृत अध्यात्मा (वास्तविक)  
(200) संस्कृत विद्या (वास्तविक)

	Basic D.Pay GradePay NPA SpecialPay PersonalPay Fee	StagnationInc InterimRelief OtherPay D.A. AdditionalDA ProjectAllow TrainingAllow	Trans.Allow. Depu.Allow TribalAllow HRA Wages Allow	WashingAllow CashierAllow OtherAllow UniformAllow	BigularAllow DIALlow	WaterAllow CCA	GPF/DPF/Tier1 G/DPF/CPS.Rc Sec.Allow	GrainRec ComputerRec CarRec	GIS PLI	TotalDedn. HouseRent WaterCharge Mot.Vec.Cher OtherDed Ex.PayRec	NetSalary
1	217100 0 05380150132 SAMVIDAGO 10427244905 DR ISHLESH KUMAR KAUSHIK	0 0 18064 91182 0 0	0 0 200 13026 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -	0 0 0 0 339592 -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 101866 0	360 0 0 0 0 0	102225 237566 44136 193230	
2	210800 0 05380150136 NOT APPLY 10427260381 PRABHAT KUMAR PANDEY	0 0 17560 88536 0 0	0 0 200 12548 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -	0 0 0 0 329744 -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 145383 0	360 0 0 0 0 0	145743 184001 42856 141145	
3	204700 0 05380150139 NOT APPLY 10427252462 DR MADAN MURARI VAISHNAW	0 0 17052 85974 0 0	0 0 200 12282 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -	0 0 0 0 320208 -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 110000 0	360 0 0 0 0 0	110360 209484 41616 158232	
4	198700 0 05380150141 SAMVIDAGO 10427230141 DR ANIL KUMAR PANDEY	0 0 16552 83454 0 0	0 0 200 11922 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -	0 0 0 0 310828 -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 130738 0	360 0 0 0 0 0	131098 179730 40396 139334	

SAMPLE

PRINCIPAL

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar Distt.- Korba (C.G.)



Treasury Voucher  
D.O. Code No. - Treasury Voucher Slip  
0538031

ePayroll-Pay Bill

Basic	StagnationInc	Trans.Allow.	WashingAllow	BigularAllow	WaterAllow	GPE/DPF/Tier1	GrainRec	GIS	PLI	TotalDedn.
D.Pay	InterimRelief	Depu.Allow	CashierAllow	DIALlow	CCA	G/DPF/CPS.Rc	ComputerRec	HouseRent	NetSalary	
GradePay	OtherPay	TribalAllow	OtherAllow	UniformAllow	MedicalAllow	Pension	H.B.Rec	PayRec	OtherRec	WaterCharge
NPA	D.A.	HRA	Wages	-	-	-	CarRec	FestivalRec	IncomeTax	Mot.Vec.Char Ded.Und.
SpecialPay	AdditionalDA	ProjectAllow	FixTA	-	-	-	FBF	Prof.Tax	OtherDed	CGTC-216
PersonalPay	Fee	TrainingAllow	Honorarium	-	-	-	-	-	Ex.PayRec	NetPayable
23	34400	0	0	0	0	0	0	0	180	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
05380150160	0	2866	50	0	0	0	0	0	0	53898
NOT APPLY	0	14448	2064	0	50	200	-0	0	0	
10427273833	0	0	0	0	-	0	54078	0	0	6994
SHYAM SINGH TANWAR	0	0	0	0	-	-	0	0	0	46904

Designation : Choukidar, No. of Post : 1, Pay Scale : 5200-20200, Wide Sanction Order No. and Date : 4-3(A)/2012/38-2,23/05/2014

22	34400	0	0	0	0	0	0	0	180	
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53898
05380150162	0	2866	50	0	0	0	0	0	0	
NOT APPLY	0	14448	2064	0	50	200	-0	0	0	6994
10427253556	0	0	0	0	-	0	54078	0	0	46904
MANAU RAM YADAV	0	0	0	0	-	-	0	0	0	

Designation : Librarian, No. of Post : 1, Pay Scale : 37400-67000, Wide Sanction Order No. and Date : 4-3(A)/2012/38-2,23/05/2014

23	198700	0	0	0	0	0	0	0	360	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203015
05380150148	0	16552	200	0	0	0	-0	0	0	
NOT APPLY	0	83454	11922	0	0	0	310828	0	0	40396
10427231350	0	0	0	0	-	0	0	107453	0	162619
ASHOK KUMAR MISHRA	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
									6480	
	2310300	0	0	0	0	0	0	0	0	967544
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2650901
Grand Total	0	192451	2800	750	400	2800	-0	0	0	469687
	0	970326	138618	0	-	0	3618445	0	0	961064
	0	0	0	0	-	-	0	0	0	2181214

Grand Total : Rs. TWENTY SIX LAKH FIFTY THOUSAND NINE HUNDRED AND ONE ONLY.

  
 Nisha Sharma  
 PRINCIPAL  
 GOVT. GRAMYA BHARTI COLLEGE  
 HARDIBAZAR DISTT. KORBA (C.G.)  
 D.O.C. Code - 0538031

86

SAMPLE



  
 PRINCIPAL  
 Govt. Gramya Bharti College  
 Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

ePayroll-Pay Bill

EmployeeID EmployeeCode PRAN.NO. Bank/A/C Name	Basic D.Pay GradePay NPA SpecialPay PersonalPay Fee	StagnationInc InterimRelief OtherPay D.A. AdditionalDA	Trans.Allow. Depu.Allow TribalAllow HRA ProjectAllow	WashingAllow CashierAllow OtherAllow Wages FlixTA	BigularAllow DIAallow UniformAllow	WaterAllow CCA MedicalAllow Sec.Allow	GrainRec G/DPF/CPS.Rc Pension GrossSalary CarRec	GPF/DPF/TierI HB.Rec FBF FestivalRec	GIS PLI HouseRent PayRec OtherRec IncomeTax Prof.Tax	TotalDedn. HouseCharge NetSalary Mot.Vec.Char.Ded.Und. OtherDed NetPayable Ex.PayRec
<b>Designation : Asstt. Gra II, No. of Post : 2, Pay Scale : 5200-20200, Wide Sanction Order No. and Date : 4-3(A)/2012/38-2,23/05/2014</b>										
9 11 05380150142 NOT APPLY 10427259047 PANNA LAL SON	51900 0 0 0 0 0	0 0 4323 21798 0	0 0 100 3114 0	0 0 250 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 200 0	0 0 0 -0 81685	0 0 0 0 0	0 0 0 0 2640	300 0 0 0 0
										2940 78745 10551 68194
10 31 05380150140 NOT APPLY 10427252417 MADAN LAL GURUDWAN	51900 0 0 0 0 0	0 0 4323 21798 0 0	0 0 100 3114 0 0	0 0 250 0 0 0	0 0 0 0 0 -	0 0 200 -0 0 -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	300 0 0 0 0 2640	2940 78745 10551 68194
<b>Designation : Asstt. Gra III, No. of Post : 2, Pay Scale : 5200-20200, Wide Sanction Order No. and Date : 4-3(A)/2012/38-2,23/05/2014</b>										
11 13 05380150144 NOT APPLY 10427261506 KUMODINI RATHORE	40800 0 0 0 0 0	0 0 3399 17136 0 0	0 0 100 2448 0 0	0 0 250 0 0 0	0 0 0 0 0 -	0 0 200 -0 0 -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	300 0 0 0 0 0	300 64033 8295 55738
<b>Designation : Lab Technician, No. of Post : 6, Pay Scale : 5200-20200, Wide Sanction Order No. and Date : 4-3(A)/2012/38-2,23/05/2014</b>										
12 8 05380150138 NOT APPLY 10427263767 RAKHI RAM KANWAR	50400 0 0 0 0 0	0 0 4198 21168 0 0	0 0 100 3024 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 200 -0 0 -	0 0 -0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	300 0 0 0 0 0	19063 60027 10246 49781

36



PRINCIPAL

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar Distt. Korba IC G.

**SAMPLE**